# एलपीजी वितरकों के चयन हेतु एकीकृत दिशानिर्देशों पर ब्रोशर







जुलाई 2016

# एलपीजी वितरकों के चयन हेतु दिशानिर्देश (जुलाई 2016 से सभी विज्ञापित/पुन:विज्ञापित लोकेशनों हेतु लागू)

इस ब्रोशर में रसोई गैस (एलपीजी) के वितरकों के चयन हेतु (इसके बाद मामले की आवश्यकतानुसार इसे 'एलपीजी वितरक' और 'एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप' के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) दिशानिर्देश हैं, जो जुलाई 2016 से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति हेतु विज्ञापित सभी लोकेशनों हेतु लागू होंगे।

# 1. परिभाषाएं

निम्न परिभाषाएं लागू होंगी:

- 1.1.**जिला:** 'जिला' शब्द की परिभाषा संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग से अनुसार "जिला" की परिभाषा के अनुरूप होगी।
- 1.2. उप-मंडल: 'उप-मंडल' शब्द की परिभाषा संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अनुसार होगी।
- 1.3. डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र के प्रकार:
  - 1.3.1 'शहरी वितरक' का अर्थ है '2011 की जनगणना के अनुसार' 'शहरी क्षेत्र' में स्थित एलपीजी वितरक। शहरी वितरक मेट्रो सिटी/नगर/शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित एलपीजी ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करेंगे।
  - 1.3.2 **'रर्बन वितरक'** का मतलब है 'शहरी-ग्रामीण क्षेत्र' में स्थित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर । रर्बन वितरक' संबंधित ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर आने वाले शहर और वितरण स्थान और गांवों में स्थित एलपीजी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेंगे ।
  - 1.3.3 'ग्रामीण वितरक' का अर्थ है '2011 की जनगणना' के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' में स्थित एलपीजी वितरक । ग्रामीण वितरक संबंधित ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों में स्थित उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेंगे।
  - 1.3.4 'दुर्गम क्षेत्रीय विवतरक (डीकेवी)' का अर्थ है दुर्गम और विशेष क्षेत्रों (जैसे पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, आदिवासी आबादी क्षेत्र, कम आबादी, अशांत क्षेत्र, द्वीप, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र)

में स्थित एलपीजी वितरक, जहां ग्रामीण और रर्बन वितरक की स्थापना संभव नहीं है । वे संबंधित ओएमसी द्वारा यथा निर्दिष्ट डीकेवी क्षेत्रों में एलपीजी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेंगे ।

- 1.4. 'मेट्रो सिटी' का अर्थ है, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.7.2015 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 2/5/2014-E.II (बी) के आधार पर गृह किराया भत्ता दिए जाने के उद्देश्य से "X" के रुप में वर्गीकृत नगर, अर्थात दिल्ली (UA), ग्रेटर मुंबई (UA), चेन्नई (UA), कोलकाता (UA), हैदराबाद (UA), अहमदाबाद (UA), बेंगलुरू (UA) और पुणे (UA)।
- 1.5.शहर का मतलब वे सभी नगर हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.7.2015 को फाइल संख्या 2/5/2014-ई.II (बी) के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन के आधार पर 'वाई' श्रेणी में वर्गीकृत हैं।
- 1.6.**नगर** का मतलब वह सभी शहर है जो उपरोक्त बिंदु 1.4 और 1.5 के अंतर्गत मेट्रो सिटी और शहर की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- 1.7. **गांव** का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों की मूल इकाई जो निश्चित सर्वेक्षण सीमाओं वाला राजस्व गांव है। राजस्व गांव में कई बस्तियां हो सकती हैं। गांवों समूह का मतलब एक से अधिक राजस्व गांव, जो ग्रामीण वितरक अथवा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के व्यवहार्यता अध्ययन हेतु एक दूसरे के साथ जुड़े हों।
- 1.8. 'एलपीजी सुविधा केंद्र' गांव में ही अस्थाई रूप से निर्मित एक ऐसा स्थान है जिसका संचालन संबंधित दुर्गम क्षेत्रीय वितरक द्वारा किया जाता है। एलपीजी सुविधा केंद्र पर एलपीजी ग्राहकों को एलपीजी से संबंधित उत्पाद एवं सेवाएं जैसे नए एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी सिलिंडर रिफिल की आपूर्ति, एलपीजी रिसाव संबंधी शिकायतें दूर करना, एलपीजी गैस स्टोव/हॉटप्लेट की सर्विसिंग, एलपीजी उपयोग हेतु जागरूकता फैलाना आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तेल विपणन कंपनियों के आग्रह पर इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
- 1.9. **लोकेशन** का मतलब है नए एलपीजी वितरक की स्थापना हेतु चिन्हित क्षेत्र । यह एक इलाका/गांव/गांवों का समूह/शहर या नगर हो सकता है जो एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु जारी नोटिस में उल्लिखित है ।
- 1.10.**बाजार** का मतलब है सीमांकन क्षेत्र, जिसमें ओएमसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की अनुमित देता है। कोई भी इलाका/गांव/गावों का समूह/नगर या शहर बाजार हो सकता है।

- 1.11.**वर्जिन मार्केट** का मतलब है कि ऐसा स्थान जहां वर्तमान में किसी ओएमसी का एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है।
- 1.12. 200-प्वाइंट रोस्टर का मतलब है 1 से 200 तक क्रम संख्याओं का सेट, जिसमें प्रत्येक क्रम संख्या को इस प्रकार से आरक्षण श्रेणी आबंटित की गई है रोस्टर में 200 वितरकों की योजना बनाते ही प्रत्येक श्रेणी का आरक्षण प्रतिशत हासिल हो जाता है। यह सिद्धांत उन लोकेशनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें विपणन योजना में शामिल नहीं किया गया है अथवा वें दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के अंतर्गत आने वाले लोकेशन्स है जहां सरकार द्वारा संचालित कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी / संगठनों को से परे हैं जहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही सोसायटियों / संगठनों को नामांकन आधार पर डिस्ट्रीब्यूटरिशप प्रदान किया जाना है।
- 1.13.एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के **प्रचालन क्षेत्र** का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसमें इलाका/गांव/गांवो का समूह/नगर या शहर शामिल है, जिसमें संबंधित एलपीजी वितरक को एलपीजी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की अनुमित दी गई है। किसी भी एलपीजी वितरक का प्रचालन क्षेत्र विशिष्ट होता है और यह ओएमसी द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- 1.14.**सीलिंग सीमा** का मतलब है उस बाजार हेतु निश्चित प्रति माह घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की अधिकतम रिफिल बिक्री, जिसमें एलपीजी वितरक स्थित है।
- 1.15. जिला स्तरीय सिमिति (डीएलसी) का मतलब ऐसी सिमिति है जिसके पास उस जिले में नए एलपीजी वितरकों की स्थापना और उस जिले में एलपीजी वितरकों के चयन संबंधी किसी भी अन्य बात के लिए लोकेशनों की पहचान करने की जिम्मेदारी होती है। जिला स्तरीय सिमिति में बीपीसी, एचपीसी और आईओसी से एक-एक अधिकारी होते हैं।
- 1.16.राज्य स्तरीय समिति का तात्पर्य है कि संबंधित राज्य में एलपीजी विपणन के लिए जिम्मेदार ऐसी समिति जिसमें बीपीसी, एचपीसी और आईओसी प्रत्येक के एक-एक अधिकारी मिलाकर 3 अधिकारी होते हैं। इस समिति का समन्वयक हमेशा उसी कंपनी के एलपीजी विभाग का अधिकारी होगा जिस कंपनी का राज्य स्तरीय समन्वयक (एसएलसी) होगा।
- 1.17.मुख्यालय स्तर की कार्य समिति : बीपीसी, एचपीसी और आईओसी प्रत्येक का एक-एक अधिकारी मिलाकर 3 अधिकारियों की समिति होती है जिसके पास आईओसी के समन्वय के तहत तेल विपणन कंपनी के मुख्यालय/प्रधान कार्यालय में एलपीजी चयन मामलों की जिम्मेदारी होती है।

- 1.18.फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल (एफवीसी) का तात्पर्य है कि ओएमसी अधिकारियों की समिति द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित तथ्यों का सत्यापन । एफवीसी प्रक्रिया के अंतर्गत दिशानिर्देश के अनुसार समिति द्वारा गोदाम और शोरूम हेतु भूमि की उपयुक्तता की भी जांच की जाएगी।
- 1.19.एलपीजी गोदाम तक के **संपर्क मार्ग** का तात्पर्य है कि एलपीजी सिलिंडर ट्रक के एलपीजी गोदाम तक समुचित रूप से पहुंचने के लिए न्यूनतम 2.5 मीटर चौड़ाई का वाहन रास्ता (सार्वजनिक रास्ता को जोड़ने वाला सार्वजनिक अथवा निजी रास्ता)।
- 1.20.बहु डीलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप मानदंडों का तात्पर्य है कि आवेदक या 'परिवार इकाई' के किसी अन्य सदस्य के पास पीएसयू तेल कंपनी के किसी प्रकार का डीलरिशप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप/ या डीलरिशप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप हेतु आशय पत्र (एलओआई) नहीं होना चाहिए अर्थात 'परिवार इकाई' को पीएसयू तेल कंपनी के केवल एक ही रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरिशप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की अनुमित होगी।
- 1.21. बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंड हेतु 'परिवार इकाई' से निम्नलिखित अभिप्राय है :
- 1.21.1 विवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" में स्वयं, उसका/उसकी जीवनसाथी और उसके अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल हैं।
- 1.21.2 अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" में स्वयं, उसके माता उसके पिता और अविवाहित भाई तथा अविवाहित बहन शामिल हैं।
- 1.21.3 परित्यक्ता के मामले में, "परिवार इकाई", में स्वयं, अविवाहित पुत्र(पुत्रगण)/अविवाहित पुत्री(पुत्रियाँ) जिनका संरक्षण उस संबन्धित व्यक्ति/आवेदक के अधीन है।
- 1.21.4 विधुर/विधवा के मामले में "परिवार इकाई" में स्वयं, अविवाहित पुत्र(पुत्रगण)/अविवाहित पुत्री(पुत्रियाँ) शामिल हैं।
- 1.22. 'तेल विपणन कंपनियों के किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्य' का तात्पर्य है :

कर्मचारी के पित या पत्नी (जैसा भी मामला हो), चाहे उसके साथ रह रहे हों अथवा नहीं, परंतु इसमें सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा कर्मचारी से अलग हो चुके पित या पत्नी (जैसा मामला हो) शामिल नहीं होंगे। कर्मचारी के पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो कि उस पर पूर्णत: आश्रित हों, परंतु ऐसे पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो कि किसी भी रूप में कर्मचारी पर आश्रित नहीं है, या ऐसे पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जिसकी अभिरक्षा किसी कानून द्वारा या किसी कानून के अधीन कर्मचारी से वंचित है - ये सभी शामिल नहीं होंगे ।

कोई अन्य व्यक्ति जिसका कर्मचारी से रक्तसंबंध है अथवा विवाह द्वारा कर्मचारी से अथवा कर्मचारी के पति या पत्नी से संबंधित है और वह व्यक्ति कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हो।

1.23. शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु गोदाम शोरूम/के 'स्वामित्व' का तात्पर्य है -

#### क) संपत्ति का स्वत्वाधिकार

#### अथवा

विज्ञापन की तारीख के बाद किसी भी दिन से लेकर विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में यथाउल्लिखित आवेदन जमा करके की अंतिम तारीख तक न्यूनतम 15 वर्षों की वैध लीज अविध का रजिस्टर्ड लीज डीड हो।

- ख) इसके अतिरिक्त विज्ञापन की तारीख से पहले किसी भी दिन को किए आवेदन के रजिस्टर्ड लीज डील पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते लीज विज्ञापन की तारीख से वर्षों की 15 न्यूनतम अविध के लिए वैध हो।
- ग) विज्ञापन या शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) में यथाउल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को आवेदक के पास उसके नाम से/परिवार इकाई के सदस्य (पात्रता मानदंड के बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम में यथापरिभाषित)/माता-पिता (सौतेले पिता/सौतेली माता शामिल है) एवं दादा-दादी (मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोंनों), भाई/बहन (सौतेले भाई व सौतेली बहन शामिल हैं), पुत्र/पुत्री (सौतेला पुत्र/सौतेली पुत्री शामिल है), आवेदक या जीवनसाथी (विवाहित आवेदक के मामले में) के दामाद/बहु के नाम उपरोक्त शब्द 'स्वामित्व' के अंतर्गत यथापरिभाषित स्पष्ट स्वामित्व आवेदक के पास होना चाहिए। ऊपर यथाउल्लिखित परिवार के सदस्यों द्वारा स्वामित्व/सह स्वामित्व के मामले में परिवार के सदस्यों की सहमित संबंधी घोषणा आवश्यक होगी।
- घ) यदि जमीन आवेदक/आवेदक के परिवार इकाई (बहु डीलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप नियम में यथापिरभाषित) के सदस्य/माता-पिता एवं दादा-दादी (मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों) या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम संयुक्त स्वामित्व की है और आवेदक/आवेदक के परिवार के इकाई माता-पिता एवं दादा-दादी (मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों) के नाम की जमीन का हिस्सा आवश्यक डाइमेंशन सहित जमीन की आवश्यमकता को पूरा करता हैं तो गोदाम एवं शोरूम की वह जमीन भी अपने जमीन के रूप में पात्रता के लिए योग्य है बशर्ते अन्य स्वामियों से नोटरी किये हुए शपथ पत्र के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किए जाएं।

1.24'आश्रित' से अभिप्राय है वैसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत 'परिवार के आश्रित सदस्य' के रूप में परिभाषित किया गया है।

#### 2. लोकेशनों की पहचान:

उपलब्ध रिफिल बिक्री क्षमता के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की स्थापना हेतु ऐसे लोकेशनों की पहचान की जाती है, जो किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप के परिचालन के लिए आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान कर सकें। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का लक्ष्य है कि देश के सभी क्षेत्रों को कवर करें तािक देश के सभी घरों में एलपीजी की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। चिन्हित लोकेशनों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप एक व्यावसाियक प्रस्ताव है, जिसमें जोखिम है और इसमें किसी सुनिश्चित लाभ या आय की गारंटी नहीं है।

नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की स्थापना हेतु संभाव्यता अध्ययन रिफिल बिक्री की क्षमता पर आधारित होता है। नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की स्थापना हेतु रिफिल बिक्री की क्षमता घरों की संख्या, प्रति व्यक्ति खपत, एलपीजी कवरेज और मौजूदा/प्रस्तावित पीएनजी कनेक्शन, यदि कोई हो, पर आधारित होता है।

#### 3. आरक्षण:

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के अलावा सभी राज्यों में प्रमुख श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

ए	खुली श्रेणी (ओ)	50.5%
बी	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰)	22.5%
सी	अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि॰व॰)	27.0%

उपर्युक्त वर्गों में से प्रत्येक में, निम्नानुसार उप-वर्ग होंगे :-

उप-श्रेणी	आरक्षण श्रेणियां (में %)			
सरकारी कार्मिक श्रेणी (जी॰पी॰), जिसमें रक्षा,	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰	अ.पि॰व॰	खुली	कुल
केन्द्र/राज्य सरकार तथा केन्द्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी/पूर्व सैनिक/विशेष बल शामिल हैं	2	2	4	8
निःशक्त कार्मिक (पी॰एच॰) / दिव्यांग	1	1	1	3
संयुक्त श्रेणी (सी॰सी॰) जिसमें, उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) शामिल हैं	0	0	1	1
महिला	7	9	17	33
अनारक्षित - संबंधित श्रेणी से कोई भी व्यक्ति	12.5	15	27.5	55
कुल	22.5	27	50.5	100

संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰(जी॰पी॰) - 2%, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰(पी॰एच॰) - 1%, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰(डब्ल्यू)-7%, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ - 12.5% ओबीसी(जी॰पी॰) - 2%, ओबीसी(पी॰एच॰) - 1%, ओबीसी(डब्ल्यू) - 9%, ओबीसी 15% और खुली(जी॰पी॰) - 4%, खुली(पी॰एच॰) - 1%, खुली(सी॰सी॰) - 1%, खुली(डब्ल्यू) - 17%, खुली - 27.5% है।

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण निम्नानुसार है -

राज्य	सभी 4 प्रकार के ड्रिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आरक्षण का प्रतिशत				कुल
	अजजा	अजजा (डब्लयू)	खुला	खुला (डब्ल्यु)	
अरूणाचल	49	21	21	9	100
प्रदेश					
मेघालय	56	24	14	6	100
नागालैंड	56	24	14	6	100
मिजोरम	63	27	7	3	100

# 4. 200-प्वाइंट रोस्टर के अनुसार लोकेशनों का रोस्टर बनाना

ऊपर उल्लिखित आरक्षणों का प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप स्थापित करने के लिए चिन्हित लोकेशनों (अरूणाचल प्रदेश, मेंघालय, नागालैंड और मिजोरम को छोडकर सभी राज्यों में) को उद्योग आधार पर (आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को मिलाकर) विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रत्येक राज्य के लिए '200 प्वाइंट' रोस्टर के अनुसार विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाएगा तािक प्रत्येक श्रेणी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

'200-प्वाइंट रोस्टर' में क्रम संख्या को इस प्रकार से आरक्षण श्रेणी आबंटित की गई है रोस्टर में 200 वितरकों की योजना बनाते ही प्रत्येक श्रेणी (आरक्षित) का आरक्षण प्रतिशत हासिल हो जाता है । '200-प्वाइंट रोस्टर' में निरंतरता बरकरार राखी जाती है और एक बार 200 रोस्टर क्रम संख्या पूरी होने के बाद रोस्टर पुन: क्रम संख्या 1 से शुरू होगा।

'200 प्वाइंट रोस्टर' का रोलिंग आधार पर अनुपालन किया जाता है । अजा और अजजा के बीच आरक्षित लोकेशनों का वितरण संबंधित राज्य में अजा और अजजा की जनसंख्या अनुपात के अनुसार किया जाता है ।

आईओसीएल के प्रधान कार्यालय में अखिल भारतीय स्तर पर '200-प्वाइंट रोस्टर' तैयार किया जाएगा - "शहरी वितरक और रर्बन वितरक" के लिए एक संयुक्त रोस्टर और ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए एक-

एक रोस्टर । एकीकृत दिशानिर्देशों के अधिसूचन के बाद ओएमसी द्वारा क्रम संख्या 1 के साथ नए रोस्टरों का रखरखाव शुरू कर दिया जाएगा ।

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर तैयार किया जाएगा तथा उसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एओडी राज्य कार्यालय, गुवाहाटी में रखा जाएगा। रोस्टर क्रमांक तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन हेतु एकीकृत दशानिर्देश क्रमांक 1 से शुरु होगा।

#### 5. गैर-वगीकरण:

मौजूदा दिशानिर्देशाॅं के अंतर्गत योजनाबद्ध एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु गैर-वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :

- 5.1 आरक्षित उप-श्रेणी लाकेशनों हेतु "जी॰पी॰" (सरकारी कार्मिक श्रेणी (जी॰पी॰), जिसमें रक्षा, केन्द्र/राज्य सरकार तथा केन्द्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी/पूर्व सैनिक/विशेष बल), 'पी॰एच॰' और 'सी॰सी॰'(ओएसपी + एफएफ)" तथा महिला से, यदि विज्ञापन देने पर भी "शून्य" आवेदन आते हैं या कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता है या कोई उम्मीदवार योग्य न हो या कोई चुना हुआ उम्मीदवार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने में सक्षम न हो तो उस लोकेशन को बिना उप-श्रेणी के संबंधित श्रेणी में पुन: विज्ञापित किया जाएगा अर्थात लोकेशनों को यथालागू अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰, अ.पि॰व॰, खुली श्रेणी के रूप में विज्ञापित किया जाएगा।
- 5.2 'अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰' या अ॰पि॰व॰ श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित/पुन: विज्ञापित लोकेशन के लिए यदि 'शून्य' आवेदन आता है या कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता या कोई उम्मीदवार योग्य नहीं है या कोई भी चुना हुआ उम्मीदवार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप लगाने में सक्षम न हो तो उस लोकेशन को 'खुली श्रेणी' के अंतर्गत पुन: विज्ञापित किया जाएगा।
- 5.3 तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 'अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰' और 'अ.पि॰व॰' श्रेणी के लिए रोस्टर से 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोकेशनों की इसी संख्या को परिवर्तित करके पहले के रोस्टर से लोकेशनों का गैर-श्रेणीकरण करते समय संबंधित ओएमसी द्वारा संपूर्ण रूप से आरक्षण को बनाए रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में अजा/जजा और अ.पि॰व॰ श्रेणी में कमी को भविष्य की विपणन योजना में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰-22.5%, अ.पि.व.-27% और खुली-50.5% का आरक्षण बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।
- 5.4 आरक्षित श्रेणियां 'जी॰पी॰', 'पी॰एच॰', 'सी॰सी॰ और महिला' के संबंध में आरक्षण प्रतिशत केवल प्रारंभिक श्रेणीकरण के समय रखा जाएगा । दूसरे शब्दों में एक बार प्रथम विज्ञापन के बाद ऐसे लोकेशनों की श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जाता है, यदि कोई उम्मीदवार आवेदन न करे या कोई पात्र उम्मीदवार न मिले, या कोई

उम्मीदवार योग्य न हो या कोई चुना हुआ उम्मीदवार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाने में सक्षम न हो, तो भावी विपणन योजना के अंतर्गत रोस्टर में किसी भी तरह का समायोजन नहीं किया जाएगा।

#### 6. चयन का तरीका

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन कैप्सूल विज्ञापनों के माध्यम से तीन दैनिक समाचार-पत्रों - एक समाचार-पत्र, जिसका राज्य में सर्वाधिक सर्कुलेशन हो और दो ऐसे समाचार-पत्र जिनका जिले में सर्वाधिक सर्कुलेशन हो, द्वारा आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा।

किसी विज्ञापित लोकेशन के लिए एलपीजी वितरक का चयन उस ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा किया जाएगा।

## 7. आवेदकों के लिए पात्रता मापदंड

पात्रता आधार को पूरा करने वाले सभी आवेदक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए ड्रॉ हेतु पात्र होंगे। पात्रता मापदंड निम्नानुसार है :-

7.1 शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु सामान्य पात्रता मापदंड :-

## क) चयन हेतु पात्र आवेदक :

- 1) भारत का नागरिक हो तथा वह भारत में निवास करता हो।
- 2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए । शैक्षणिक योग्यता का आधार स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी के आवेदकों पर लागू नहीं होगा ।
- 3) (सभी श्रेणियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप) लिए आवेदन की तारीख को उम्र 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो। एफएफ श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित लोकेशनों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं हैं।
- 4) आवेदन की तारीख को तेल विपणन कंपनियों के कर्मचारी के परिवार का सदस्य न हो।
- 5) बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंडों को पूरा करता हो अर्थात आवेदक या 'परिवार इकाई' के किसी अन्य सदस्य के पास पीएसयू तेल कंपनी के किसी प्रकार का डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/ या डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आशय पत्र (एलओआई) नहीं होना चाहिए। बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंड विज्ञापन के महीने तक तत्काल पूर्व के 12 महीनों के

दौरान 75 कि.ली. एसकेओ प्रतिमाह के औसत एलोकेशन से कम ओएमसी परिचालन वाले वर्तमान एसकेओ डीलरों पर लागू नहीं होगा।

- 6) चुने जाने पर शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए नियुक्ति-पत्र जारी होने के पूर्व उन्हें केरोसीन डीलरिशप सरेंडर करना होना । शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए आवेदन करने वाले एसकेओ डीलर को मामले के अनुसार तेल विपणन कंपनी के राज्य सरकार/प्रभागीय/प्रदेशीय/क्षेत्रीय कार्यालय के आबंटन प्राधिकारी द्वारा जारी केरोसिन आबंटन का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7) इसी प्रकार एनडीएनई (गैर घरेलू, गैर आवश्यक) एलपीजी सिलिंडरों के विशेष विपणन के लिए पीएसयू तेल कंपनियों द्वारा नियुक्त रिटेलर्स/वितरक के लिए उपर्युक्त उल्लिखित बहुल डीलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप नियम लागू नहीं होंगे। तथापि, अपने नाम या "परिवार इकाई" के किसी सदस्य के नाम पर किसी ओएमसी के एनडीएनई रिटेलरिशप के लिए नियुक्ति हेतु एनडीएनई रिटेलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप या आशय पत्र (एलओआई) रखने वाले आवेदक का यदि चयन हो जाता है तो उसे नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने के पूर्व अपने एनडीएनई रिटेलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप या एलओआई को सरेंडर करना होगा।
- 8) व्यवसाय चलाने के लिए शारीरक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों। अर्थात व्यक्ति पूरी तरह से लकवाग्रस्त और मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, जो पागलपन से ग्रस्त हो और संज्ञानात्मक मानसिक शक्ति से वंचित हो।
- 9) पूरी तरह से नेत्रहीन नहीं हो।
- 10)नैतिक पतन/आर्थिक अपराधों में शामिल किसी आपराधिक मामलें में किसी न्यायालय द्वारा न तो दंडित किया गया हो न ही आरोप लगाया गया हो ।
- 11) किसी तेल कंपनी के कदाचार/मिलावट के प्रमाणित मामले के कारण डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप के लिए हस्ताक्षरकर्ता न हों या डीलर/वितरक चयन दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित अपने/अपनी परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप हस्तांतरित करने के लिए किसी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रोप्राइटरशिप से इस्तीफा न दिया हो।
- 12) आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में यथानिर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को एलपीजी गोदाम बनाने हेतु नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम आकार का जमीन का प्लॉट अथवा बना बनाया एलपीजी सिलिंडर गोदाम होना चाहिए :

- i. क्षमता : एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण के लिए एलपीजी गोदाम (पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मुख्य नियंत्रक (पीईएसओ) द्वारा स्वीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त) की न्यूनतम क्षमता नीचे दी गई है :
  - क) शहरी वितरक एवं रर्बन वितरक के पास न्यूनतम 8000 कि.ग्रा. एलपीजी क्षमता का भंडारण गोदाम होना चाहिए।
  - ख) ग्रामीण वितरक के पास न्यूनतम 5000 कि.ग्रा. एलपीजी क्षमता का भंडारण गोदाम होना चाहिए।
  - ग) दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के पास न्यूनतम 3000 कि.ग्रा. एलपीजी क्षमता का भंडारण गोदाम होना चाहिए।
- ii. जमीन का आकार : जमीन का न्यूनतम आकार और गोदाम का लोकेशन नीचे दिया गया है:
- क) शहरी वितरक और रर्बन वितरक हेतु उम्मीदवार के पास शहर में अथवा उसी राज्य में प्रस्तावित लोकेशन नगरपालिका/शहर/गांव की बाहरी सीमा के 15 कि.मी. के अंदर न्यूनतम 25मी. X 30मी. आकार के जमीन के प्लॉट का स्वामित्व होना चाहिए।
- ख) 'X' एवं 'Y' श्रेणी के महानगर/नगर/राज्य के अंतर्गत आने वाले शहरी वितरक व रर्बन वितरक लोकेशनों को विज्ञापित लोकेशन के नगर/शहर की नगरपालिका सीमा के 15 कि.मी. बाहर तक गोदाम के निर्माण की अनुमित है। वितरक द्वारा गोदाम की स्थापना नगरपालिका सीमा के बाहर किए जाने के कारण शहर/नगर में अथवा इससे बाहर एलपीजी सिलिंडर लाने-ले जाने का वित्तीय भार वितरक को वहन करना होगा, यदि संचलन अंतरराज्यीय आधार प किया जा रहा हो।
- ग) ग्रामीण वितरक हेतु उम्मीदवार के पास विज्ञापित लोकेशन के 15 कि.मी. के अंदर न्यूनतम 21मी. X
   26मी. आकार के जमीन के प्लॉट का स्वामित्व होना चाहिए।
- घ) दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु उम्मीदवार के पास विज्ञापित लोकेशन के गांव/गांवों के समूह की सीमा के अंदर न्यूनतम 15मी. X 16मी. आकार के जमीन के प्लॉट का स्वामित्व होना होना चाहिए।
- ख) जमीन के लोकेशन के साथ-साथ विज्ञापित विनिर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद/अस्पष्टता होने पर इस मामले को जिला राजस्व अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
- ग) गोदाम के निर्माण के लिए जमीन समतल व मिली हुई होनी चाहिए और लाइव ओवरहेड विद्युत तारों या टेलीफोन लाइनों से मुक्त होनी चाहिए । प्लॉट से नहर/ड्रेनेज/नाला नहीं गुजरना चाहिए ।
- घ) चयनित उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह गोदाम/एलपीजी गोदाम तक शोरूम/शोरूम के निर्माण के लिए जमीन के संबंध में समय-समय पर लागू सभी नियमों और विनियमों, सरकारी या नगरपालिका या ऐसे

कानूनों, विनियमों, उपनियमों के प्रावधानों का अनुपालन एवं निष्पादन करें। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले में, उपयुक्त कारवाई हेतु इसकी जांच के लिए इसे संबंधित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। ओएमसी संबंधित प्राधिकारी से अंतिम निर्णय आने तक चयन/स्थापना/डिस्ट्रीब्यूटरशिप परिचालन की अपनी प्रकिया जारी रखेगा।

- ङ) चयनित उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गोदाम/एलपीजी गोदाम के लिए प्रस्तावित जमीन तक एलपीजी सिलिंडर ट्रक के पहुंचने के लिए न्यूनतम 2.5 मीटर चौड़ी सभी मौसम में गाडियां आ जा सकने वाली (सार्वजिनक मार्ग या सार्वजिनक मार्ग से जोड़ने वाली मार्ग) सड़क हो। सार्वजिनक रास्ते से जोड़ने वाली प्राईवेट मार्ग के मामले में यह या तो स्वामित्व/रजिस्टर्ड लीज कराई गई हो या भू-मालिक की जमीन से रास्ते पर आने-जाने का अधिकार होना चाहिए। जहां भी राज्य सरकार द्वारा अधिक लंबाई-चौड़ाई वाला संपर्क मार्ग निर्धारित किया गया हो तो इसे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- च) एलओआई की स्वीकृति के समय उम्मीदवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि एलओआई में उल्लिखित समय सीमा के अन्दर यथानिर्दिष्ट संपर्क मार्ग उपलब्ध करा दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व संम्पर्क मार्ग के सुविधाजनक होने की जांच की जाएगी। चयनित उम्मीदवार की यह जिम्मेवारी होगी कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप की स्थापना के बाद एलपीजी गोदाम तक संपर्क मार्ग के माध्यम से हमेशा एलपीजी सिलिंडर की निर्वाध पहुंच सुनिश्चत करें। चयनित उम्मीदवार द्वारा संम्पर्क मार्ग की उपलब्ध कराने में असफल रहने पर एफवीसी पूर्व ली गई जमानत राशि का 10% जब्त किए जाने के साथ एलओआई को रद्द किया जा सकता है। बिना उचित संपर्क मार्ग के गोदाम के निर्माण में उम्मीदवार द्वारा किए गये किसी निवेश के लिए ओएमसी जिम्मेदार नहीं होगी।
- छ) यदि एलपीजी गोदाम/संम्पर्क मार्ग के लिए कोई राज्य विशेष आवश्यकताएं/मानदंड लागू हैं तो यह संबंधित राज्य के विज्ञापन में यथानिर्दिष्ट प्लॉट की संशोधित न्यूनतम लंबाई-चौड़ाई/संपर्क मार्ग की चौड़ाई सहित संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरिशप लोकेशन पर भी लागू होगा। जिन राज्यों में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण में काफी समय लगता है और ऐसे मामले लंबित हैं, जिसकी वजह से कुछ राज्यों में कमीशनिंग लंबित है, चयनित उम्मीदवार से क्षतिपूर्ति ली जाएगी कि वह गैर कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण करवाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटरिशप का किमशन किया जाएगा।

# 7.2 शोरूम हेतु विशिष्ट पात्रता मापदंड

क) आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धि-पत्र (यदि कोई हो तो) में यथानिर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बाहरी डाइमेंशन में 3 मीटर × 4.5 मीटर न्यूनतम आकार की उचित दुकान या 3 मीटर x 4.5 मीटर न्यूनतम आकार के शोरूम के निर्माण के लिए जमीन का प्लॉट विज्ञापित लोकेशन, अर्थात विज्ञापन में लोकेशन कॉलम के अर्न्तगत उल्लिखित नगरपालिका/शहर/गांव की सीमा में होना चाहिए।

- ख) यदि विज्ञापन में 'लोकेशन' कॉलम के अर्न्तगत स्थान का भी उल्लेख किया गया हो तो उक्त "क्षेत्र में मानक ले-आऊट के अनुसार विज्ञापन या शुद्धि-पत्र (यदि कोई हो) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बाहरी डाइमेंशन में 3 मीटर x 4.5 मीटर न्यूनतम आकार की उचित दुकान या 3 मीटर x 4.5 मीटर न्यूनतम आकार के शोरूम के निर्माण के लिए जमीन का प्लॉट होना चाहिए। यह आम जनता के सुगम आवागमन हेतु उचित संपर्क मार्ग द्वारा जुड़ी होनी चाहिए।
- ग) यदि विज्ञापन में लोकेशन कॉलम के अन्तर्गत विज्ञापित लोकेशन या क्षेत्र में आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धि-पत्र (यदि कोई हो) में उल्लेखित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को न्यूनतम 3 मीटर x 4.5 मीटर आकार के एक से अधिक शाप हों या 3 मीटर x 4.5 मीटर न्यूनतम आकार के शोरूम के निर्माण के लिए जमीन का प्लॉट हो तो इसका विवरण भी आवेदन में दिया जा सकता है।
- घ) विज्ञापन या शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) में यथाउल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को आवेदक के पास उसके नाम से/परिवार इकाई के सदस्य (पात्रता मानदंड के बहु डीलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप नियम में यथापरिभाषित)/माता-पिता (सौतेले पिता/सौतेली माता शामिल है) एवं दादा-दादी (मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोंनों), भाई/बहन (सौतेले भाई व सौतेली बहन शामिल हैं), पुत्र/पुत्री (सौतेला पुत्र/सौतेली पुत्री शामिल है), आवेदक या जीवनसाथी (विवाहित आवेदक के मामले में) के दामाद/बहु के नाम उपरोक्त शब्द 'स्वामित्व' के अंतर्गत यथापरिभाषित स्पष्ट स्वामित्व आवेदक के पास होना चाहिए। ऊपर यथाउल्लिखित परिवार के सदस्यों द्वारा स्वामित्व/सह स्वामित्व के मामले में परिवार के सदस्यों की सहमित संबंधी घोषणा आवश्यक होगी।
- ङ) आवेदकों द्वारा विज्ञापन की तारीख से पहले किसी भी दिन किए गए रजिस्टर्ड लीज डील पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते लीज विज्ञापन की तारीख से 15 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए वैध हो।
- च) विज्ञापन के बाद किसी लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदक द्वारा गोदाम के लिए उसी जमीन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि एक से अधिक आवेदक द्वारा एक ही लोकेशन के विज्ञापन पर गोदाम के लिए उसी जमीन या शोरूम के लिए उसी जमीन का प्रस्ताव दिया गया है तो सभी ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा अथवा यदि चयन किया जा चुका है तो इसे निरस्त कर दिया जायेगा।
- छ) यदि चयनित उम्मीदवार द्वारा आवेदन में गोदाम के लिए प्रस्तावित जमीन और/अथवा शोरूम के लिए प्रस्तावित जमीन विज्ञापन/ब्रोशर/आवेदन में निर्धारित पात्रता शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो चयनित उम्मीदवार विज्ञापन या शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) में यथाउल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक वैकल्पिक जमींन का प्रस्ताव कर सकता है जिसका स्वामित्व आवेदक/परिवार इकाई के सदस्य/माता-पिता (सौतेले पिता/सौतेली माता शामिल है), एवं दादा-दादी (मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोंनों), भाई/बहन (सौतेले भाई व सौतेली बहन शामिल हैं), पुत्र/पुत्री (सौतेला पुत्र/सौतेली पुत्री शामिल है), आवेदक या जीवनसाथी (विवाहित आवेदक के मामले में) के दामाद/बहु के पास हो।

ज) चयनित उम्मीदवार, जिसने जमीन हेतु विज्ञापन में यथानिर्धारित सभी मानकों को पूरा करने पर एलओआई जारी किया है, तब एलओआई धारक विज्ञापित लोकेशन में गोदाम/शोरूम के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक/नई जमीन का प्रस्ताव दे सकता है।

# 7.3 विभिन्न श्रेणियों हेतु विशिष्ट पात्रता मापदंड

# क) सभी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु प्रमुख आरक्षण श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड

- खुली श्रेणी (ओ) सामान्य पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले आवेदक खुली श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।
- 2. **महिलाओं हेतु खुली श्रेणी खुली (डब्ल्यू)** सामान्य पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाली महिलाएं खुली श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।
- 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰(डब्ल्यू) : भारत के संविघान के अंर्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार पात्र होगें। आवेदक को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

अज/अजजा श्रेणी के चुने हुए उम्मीदवार को ड्रॉ के परिणाम की घोषणा की तरीख से 30 दिनों के अंदर संबंधित राज्य, जहां भी लागू हो, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। एकल पात्र उम्मीदवार के मामले में, मूल जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन की अवधि उस दिन से प्रारंभ होगी, जब चयनित उम्मीदवार को लागू सुरक्षा जमा का 10% जमा करने की सूचना जाएगी।

# 4. अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) एवं अन्य पिछडा वर्ग ओबीसी (डब्ल्यू) :

भारतीय संविधान के अंर्तगत भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक पात्र होंगें ।

उम्मीवार द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा जिसमें भारत सरकार द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा जारी संकल्प/राजपत्रित अधिसूचना द्वारा ओबीसी के तौर पर अन्य पिछडा वर्ग के हैं। ओबीसी प्रमाणपत्र के साथ उम्मीदवार को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह ओबीसी श्रेणी में आता है और वह गैर क्रीमी लेयर स्टेटस को पूरा करता है। विज्ञापन अथवा शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) की नोटिस में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को उम्मीदवार के ओबीसी स्टेटस के निर्धारण की तारीख माना जाएग और यही उम्मीदवार के क्रीमी लेयर में न आने के निर्धारण हेतु भी अंतिम तारीख होगी।

## ख)विभिन्न उप-श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :-

# 1. सरकारी कार्मिक (जी॰पी॰)

'अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰', 'अ.पि॰व॰' तथा 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत ऊपर यथानिर्दिष्ट पात्र आवेदक संबंधित "जी॰पी॰" उप-श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर के शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकता हैं:

#### 2. रक्षा कार्मिक

रक्षा कर्मी का अर्थ है सशस्त्र सेना के कर्मचारी (अर्थात थलसेना, वायुसेना, जलसेना) तथा इसमें युद्ध के दौरान शहीद कर्मचारियों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में हुए विकलांग, आधिकारिक ड्युटी के समय हुए विकलांग, आधिकारिक कारण से सन्नद्ध में मृत तथा आधिकारिक कारणों से हुए विकलांग एवं पूर्व सैनिक शामिल हैं।

युद्ध में हुए शहीद की विधवा / आश्रित में से केवल एक सदस्य (विधवा या आश्रित) आरक्षण का दावा सर सकता है।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार, जो रक्षा सेवा (थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना) से जुड़े हुए हैं, को पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र की स्व अभिप्रमाणित स्कैन प्रति जमा करनी होगी जिसमें उसके द्वारा आवेदन किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप के लिए उसे स्पांसर किया गया हो । पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) एक डिस्ट्रीब्यूटरिशप लोकेशन के लिए जारी पात्रता प्रमाणपत्र दूसरे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप के लिए वैध नहीं है, अतएव किसी उम्मीदवार को तभी पात्र समझा जाएगा यदि उन्हें वर्तमान विज्ञापन के संदर्भ में किसी विशेष लोकेशन के लिए स्पांसर किया गया हो ।

# 3. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (सीपीएफ)/विशेष बल (एसएफ)

केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल/विशेष बल में सरकारी ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए कार्मिक; ड्यूटी के दौरान शहीद केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों/विशेष बलों के कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित शामिल हैं (यथालागू, पात्र केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल/विशेष बल के शहीद कार्मिक की विधवा/आश्रित में से कोई एक ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं)।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को आवेदन फार्म के साथ संगठन / सरकारी कार्यालय के पत्र शीर्ष पर प्रपत्र के अनुसार कार्यालय प्रमुख या सरकार के अवर सचिव या उससे अधिक रैंक के अधिकारी से प्राप्त केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल/विशेष बल प्रमाणपत्र जोड़ना होगा।

#### 4. सरकारी कार्मिक एवं केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिक और केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कार्मिक जो अक्षम हो या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय विकलांग हुए हो, इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगे। कर्तव्य निर्वहन करते समय मृत्यु होने पर उनकी विधवाएं/आश्रित इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। (यथालागू, पात्र मृत कर्मचारी की विधवा/आश्रित में से कोई एक ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं)।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को संबंधित संगठन /सरकारी विभाग के कार्यालय प्रमुख या सरकार के अवर सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संगत दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

## 5. दिव्यांग/शारीरिक रूप से विकलांग (पी॰एच॰) श्रेणी :

'अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰', 'ओबीसी' तथा 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत ऊपर यथानिर्दिष्ट पात्र आवेदक निम्नलिखित शर्तों के अधीन शहरी वितरक, आरअर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और डीकेवी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप संबंधित 'पी॰एच॰' उप श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं:

- i. उम्मीदवार जो विकलांग व्यक्तियों की धारा 2 (टी) (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 कहा जाता है) के अंतर्गत परिभाषित लक्ष्य समूह में कवर मानदंडों को पूरा करता है और सामाजिक न्याय मंत्रालय और सशक्तिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 30/12/2009 में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।
- ii. 40% अपंगता की न्यूनतम डिग्री के साथ मूक-बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति और पूर्णतः नेत्रहीन न हो।
  पूर्णत: नेत्रहीन व्यक्ति पात्र नहीं होंगे.

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन एवं प्रमाणपत्र हेतु प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश पर दिनांक 13 जून 2001 को भारत के राजपत्र एक्स्ट्राआर्डिनरी, नई दिल्ली, सं.154 के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेंडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र (आवेदन प्रपत्र के दिए गए मानक प्ररूप) के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

# 6. संयुक्त श्रेणी (सी॰सी॰):

'अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰', 'ओबीसी' तथा 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत ऊपर यथानिर्दिष्ट पात्र आवेदक निम्नलिखित शर्तों के अधीन शहरी वितरक, आरअर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और डीकेवी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप संबंधित 'सी॰सी॰' उप-श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं:

# i. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी (ओएसपी):

इस श्रेणी में आवेदन करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

- क) अर्जुन/खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी।
- ख) ओलंपिक/एशियन/राष्ट्रमंडल खेलों और मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता ।
- ग) राष्ट्रीय चैंपियन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अतंर्गत वरिष्ठ श्रेणी (पुरुष एवं महिला दोनों) में प्रथम स्थान धारक ।

इस श्रेणी के अतंर्गत आवेदकों को नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) करने वाले मान्यता प्राप्त नेशनल फेडरेशन से प्रमाणपत्र या युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

## ii. स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ):

स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो ताम्रपत्र धारक है और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत पेंशन प्राप्त कर रहा है।

इस श्रेणी के अतंर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता सेनानी होने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पत्र के महालेखाकार द्वारा जारी पेंशन आदेश की सत्यापित प्रति या ताम्रपात्र या प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

सामान्य पात्रता मापदंड के अंतर्गत यथाउल्लिखित शैक्षिणक योग्यता और उम्र का मापदंड एफएफ श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

# ग) ओएमसी के मौजूदा एसकेओ डीलरों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड:

ओएमसी के मौजूदा एसकेओ डीलर, जो ऊपर यथाउल्लिखित श्रेणियों के अतंर्गत पात्र हैं, निम्निलिखित शर्तों को पूरा करके सभी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- 1. विज्ञापन के महीने के ठीक 12 महीने पहले तक की अवधि के दौरान 75 कि.ली. एसकेओ प्रतिमाह से कम औसत वितरण करने वाले एक मात्र मालिक के रूप में ओएमसी परिचालन करने वाले मौजूदा एसकेओ डीलर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप के लिए आवेदन करने लिए पात्र होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ यथा मामला राज्य सरकार/आयल कंपनी के क्षेत्रीय/टेरिटरी/क्षेत्रीय कार्यालय के वितरण अधिकारी से ऐसे वितरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदकों के लिए बहु डीलरिशप/डिस्ट्रीब्यूटरिशप मानदंड लागू नहीं होंगे।
- 2. पार्टनरशिप या सोसायटी या कंपनी के रूप में परिचालन करने वाले एसकेओ डीलर आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 3. आबंटन के मामले में एसकेओ डीलर को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व अपना एसकेओ डीलरशिप सरेडंर करना होगा।
- 4. किसी भी प्रकार के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरिशप हेतु आवेदन के लिए पात्रता के लिए एसकेओ डीलर विज्ञापन की तारीख से गत 5 वर्षों के अंदर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं हुआ हो अथवा उसके विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश/डीलरिशप करार/केरोसिन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत डीलरिशप के विरूद्ध कोई कार्यावाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिए।
- ऊपर यथाउल्लिखित सामान्य पात्रता मापदंड एसकेओ डीलरों पर भी लागू होगा ।

#### 8. आवेदन:

शहरी वितरक हेतु पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय हेतु पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु निर्धारित प्ररूप में आवेदन करना होगा । आवेदन का प्ररूप ओएमसी की वेबसाइट www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in तथा www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

# 9. गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क:

शहरी वितरक और आरअर्बन वितरक हेतु आवेदक को ऑनलाइन भुगतान द्वारा खुली श्रेणी के लिए रु.10000/- (रुपये दस हजार मात्र), अ.पि॰व॰ श्रेणी के लिए रु.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) और अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के लिए रु.3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु आवेदक को किसी भी बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा खुली श्रेणी के लिए रु.8000/- (रुपये आठ हजार मात्र), अ.पि॰व॰ श्रेणी के लिए रु.4000/- (रुपये चार हजार मात्र) और अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के लिए रु.2500/- (रुपये दी हजार पांच सौ मात्र) का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

स्पष्टीकरण हेतु यह नोट करें कि यदि अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवार ने 'खुली श्रेणी' के अंतर्गत लोकेशन के लिए आवेदन किया है तो आवेदक अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ प्रमाणपत्र जमा करके अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ हेतु लागू आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तथापि, अगर उस उम्मीदवार का चयन होने पर उसे खुली श्रेणी हेतु यथालागू सुरक्षा जमा का भुगतान करना होगा।

## 10. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:

निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद आवेदन जमा नहीं किया जा सकेगा और इसके अलावा समय बढ़ाने पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा।

# 11. एक लोकेशन हेतु प्रति आवेदक एक आवेदन :

आवेदकों को एक लोकेशन के लिए एक ही आवेदन करना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवेदनों को एक साथ मिला दिया जाएगा और उसे एक ही आवेदन माना जाएगा। ऐसे मामलों में सभी अन्य आवेदनों के आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा।

# 12. अनेक लोकेशनों के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति

उम्मीदवार एक से अधिक लोकेशन के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, ऐसे मामले में उसे प्रत्येक लोकेशन के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन के साथ अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

# 13. आवेदन की पावती हेतु प्रक्रिया:

शहरी लोकेशन हेतु आवेदकों को विज्ञापन में उल्लिखित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

रर्बन, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक लोकेशन हेतु आवेदकों को केवल सीलबंद लिफाफे में निर्धारित प्ररूप में आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की पावती आवेदकों को भेजी जाएगी।

आवेदन में किमयों के पाए जाने पर निर्धारित अविध के भीतर किमयों को दूर करने के लिए आवेदक को पत्र भेजा जाएगा।

निम्नलिखित कमियों को गैर-संशोधनीय माना जाएगा :

- क) एफएफ श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को छोड़कर आवेदन की तारीख को आयु 21 वर्ष से कम हो या 60 वर्ष से अधिक हो।
- ख) उस श्रेणी से नहीं है, जिसके लिए संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोकेशन आरक्षित है।
- ग) एफएफ को छोड़कर पात्रता मापदंडों के अनुसार न्यूनतम अपेक्षित योग्यता न हो।
- घ) भारत का नागरिक न हो।
- **ङ)** भारत का निवासी न हो ।
- च) पात्रता मापदंड के अनुसार गोदाम/शोरूम के लिए जमीन न हो।
- छ) आवेदक तेल विपणन कंपनियों के किसी कर्मचारी के परिवार का सदस्य हो।

- ज) आवेदक पात्रता मापदंड के अनुसार बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मानदंडों को पूरा नहीं करता हो।
- **झ)** आवेदक 'तेल विपणन कंपनियों के मौजूदा एसकेओ डीलर' की श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता हो।

साथ ही, यदि ऊपर उल्लिखित गैर-संशोधनीय किमयों की वजह से उम्मीदवर को अपात्र घोषित कर दिया गया हो और यदि अस्वीकृति पत्र की तारीख से 21 दिनों के अंदर उम्मीदवार द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है तो उसपर केवल उन्हीं मामलों पर यथोचित निर्णय हेतु विचार किया जाएगा, जहां विशेष पैरामीटर के लिए आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में भरे गए विवरणों हेतु विशिष्ट रुप से स्पष्टीकरण/सहायक दस्तावेज दिए गए हैं।

# 14. ड्रॉ ऑफ लॉंट्स

- 14.1 सभी आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। ड्रॉ हेतु अपात्र एवं पात्र आवेदकों की सूची संबंधित तेल कंपनी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और साथ ही संबंधित तेल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी पात्र आवेदकों के बीच ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा। पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदक ड्रॉ के लिए पात्र होंगे।
- 14.2 ड्रॉ के पहले पात्रता के संबंध में किसी आवेदक से शिकायत प्राप्त होने पर नीचे "शिकायत निवारण प्रणाली" में यथाउल्लिखित अनुसार शिकायत का निपटान किया जाएगा।
- 14.3 किसी लोकेशन के लिए केवल एक ही पात्र उम्मीदवार के होने पर ड्रॉ की आवश्यकता नहीं होगी। एक मात्र पात्र उम्मीदवार को चयनित घोषित कर दिया जाएगा। परिणाम को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुरुप फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स (एफवीसी) किया जाएगा।
- 14.4 शहरी स्थानों के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ किया जाएगा। रर्बन, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए मैनुअल ड्रॉ किया जाएगा।
- 14.5 दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के मामले में, पहले विज्ञापित लोकेशन के ग्राम पंचायत में निवास करने वाले सभी पात्र आवेदकों के बीच ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत में कोई पात्र आवेदक नहीं पाया गया अथवा ग्राम पंचायत के पात्र उम्मीदवारों की सूची के समाप्त हो जाती है, तब विज्ञापित लोकेशन के राजस्व उपमंडल में निवास करने वाले पात्र उम्मीदवारों की सूची में से ड्रॉ किया जाएगा।

14.6 सरकारी कार्मिकों की श्रेणियों अर्थात, 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (जी॰पी॰), अन्य पिछड़ा वर्ग (जी॰पी॰) और खुली (जी॰पी॰)' के अंतर्गत आरक्षित लोकेशनों के मामले में पात्र उम्मीदवारों की 4 सूचियां होंगी, जिन्हें नीचे उल्लिखित उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

सूची 1: सशस्त्र बलों (अर्थात, सेना, नौसेना, वायु सेना) के विधवाओं/आश्रित या केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों/केंद्रीय या राज्य के विशेष बल, कर्तव्यपालन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई।

सूची 2: सशस्त्र बलों (अर्थात थलसेना, नौसेना, वायु सेना) या केंद्रीय अर्ध सैनिक बल/केंद्रीय या राज्य के विशेष बल कर्तव्यपालन के दौरान जो विकलांग हो गए हों।

सूची 3: सशस्त्र बल के रूप में सेवा देने वाले भूतपूर्व सैनिक।

सूची 4: केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक, कर्तव्यपालन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई हो, की विधवाओं/आश्रितों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्तव्यपालन के दौरान विकलांग हुए कार्मिक।

सूची 1 से पात्र उम्मीदवार खत्म होने पर ही सूची 2 से पात्र उम्मीदवारों पर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के दौरान विचार किया जाएगा। इसी तरह, सूची 2 के सभी पात्र उम्मीदवारों के खतम होने के बाद ही सूची 3 से और इसी तरह आगे पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

# 15. ड्रॉ ऑफ लॉंट्स की प्रक्रिया

- 15.1 दो यो दो से अधिक पात्र उम्मीदवारों के होने पर एलपीजी वितरक के चयन हेतु ड्रॉ किया जाएगा। सभी पात्र आवेदकों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट एडी तथा ई-मेंल/एसएमएस (यदि आवेदन में विवरण दिया गया हो) द्वारा निर्धारित स्थान पर निर्धारित तारीख और समय पर एलपीजी वितरक के चयन हेतु ड्रॉ के लिए उपस्थित रहने को सूचित किया जाएगा। ड्रॉ की तारीख से पहले ड्रॉ के संबंध में नोटिस उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिनमें एलपीजी वितरक की नियुक्त हेतु पहले विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।
- 15.2 पहचान का प्रमाण (इनमें से कोई एक दस्तावेज पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड) दिए जाने एवं उसके सत्यापन के बाद ही ड्रॉ के लिए आए सभी आवेदकों की उपस्थिति ली जानी चाहिए। आवेदकों द्वारा उपस्थिति शीट

पर हस्ताक्षर किया जाएगा । कंपनी के दो अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों एवं आमंत्रित अतिथि की उपस्थिति में ड्रॉ किया जाएगा ।

- 15.3 आवेदक के नाम के साथ आवेदन की क्रम संख्या 'पेपर टोकन' पर प्रिंट की गई होगी और ड्रॉ के लिए नामित अधिकारी ड्रॉ की तारीख सहित प्रत्येक 'पेपर टोकन' पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 15.4 सभी पात्र आवेदकों के मुझे हुए 'पेपर टोकन' को एक खाली बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आमंत्रित अतिथि से अनुरोध किया जाएगा कि एक 'पेपर टोकन' बाहर निकालें, उसे खोलें और वीडियो कैमरे के सामने प्रदर्शित करें ताकि 'पेपर टोकन' की क्रम संख्या और इसमें उल्लिखित आवेदक का नाम कैप्चर किया जा सके। आवेदन की क्रम संख्या और उम्मीदवार का नाम बताया जाएगा और उस लोकेशन हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए उसे चयनित उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।
- 15.5 ड्रॉ की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी की जाएगी।
- 15.6 ड्रॉ का परिणाम आयोजन स्थल के नोटिस बोर्ड पर तत्काल दर्शाया जाएगा । ड्रॉ की तारीख से 3 दिनों के अंदर इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 15.7 ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार को ओएमसी के संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्यालय दिवसों के अंदर विभिन्न प्रकार एवं श्रेणी के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सुरक्षा जमाराशि का 10% डिमांड ड्रॉफ्ट (सीटीएस अनुपालित) के रूप में निम्नानुसार जमा करना होगा।

राशि रुपये में

डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रकार	खुली	अ.पि॰व॰	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰
शहरी वितरक / रर्बन वितरक	50,000	40,000	30,000
ग्रामीण वितरक / दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	40,000	30,000	20,000

यदि लोकेशन का विज्ञापन शहरी वितरक के रूप में किया गया है तो चयनित उम्मीदवार के पास ऑनलाइन प्लैटफार्म के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प होगा।

ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तारीख से 7 कार्यालय दिवसों के अंदर उक्त राशि जमा न कर पाने की स्थिति में चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

### 16. फील्ड वेरीफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स (एफवीसी)

- 16.1 आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचना का मूल दस्तावेजों एवं इसे जारी करने वाले प्राधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार इसका सत्यापन करना फील्ड वेरीफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स (एफवीसी) कहलाता है।
- 16.2 निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप चयनित उम्मीदवार का फील्ड वेरीफिकेशन (एफवीसी) किया जाएगा । एफवीसी के दौरान यदि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचना सही पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया जाएगा ।
- 16.3 यदि एफवीसी में उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई सूचना मूल दस्तावेजों से अलग पाई जाती है और उस सूचना से उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित होती है, तो इस विसंगति के संबंध में उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट एडी/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि आवेदन में झूठी/गलत/प्रचारित जानकारी सिद्ध हो जाती है तो ऐसे मामले में चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और एफवीसी पूर्व उसके द्वारा जमा की गई अमानती राशि जब्त कर लिया जाएगा।
- 16.4 एफवीसी प्रक्रिया के दौरान फील्ड वेरीफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स (एफवीसी) के समय विज्ञापन/ब्रोशर/आवेदन में निर्धारित पात्रता शर्तों/जरूरतों को यदि आवेदन में गोदाम/शोरुम के लिए आवेदक द्वारा उल्लिखित जमीन की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता और यदि आवेदक के पास उसके नाम से या परिवार इकाई के सदस्य के नाम और विज्ञापन या शुद्दिपत्र (यदि कोई हो) में उल्लिखित के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख या उसके पूर्व गैर व्यक्तिगत के मामले में संस्थान के नाम कोई वैकल्पिक जमीन हो तो इसपर विचार किया जा सकता है। तथापि, उक्त जमीन पर विचार किए जाने पर एफवीसी के दौरान इसकी उपयुक्तता का विधिवत सत्यापन किया जाएगा। एफवीसी के समय यदि आवेदक द्वारा भविष्य में गोदाम तक सभी मौसम में मोटर पहुचने तक संपर्क मार्ग देने में असक्षमता व्यक्त की जाती है तो चयनित उम्मीदवार द्वारा उपरोक्त मापदंड के अनुसार गोदाम के लिए वैकल्पिक जमीन का भी प्रस्ताव किया जा सकता है। यदि ऐसी वैकल्पिक जमीन पर विचार किया जाता है तो एफवीसी के दौरान ऊपर यथाउल्लिखित एलपीजी गोदाम/शोरुम के लिए इसकी उपयुक्तता का विधिवत सत्यापन किया जाएगा।
- 16.5 यदि एक ही आवेदक द्वारा अलग-अलग जमीनों के साथ एक से आधिक आवेदन किया जाता है अथवा आवेदक ने एक ही आवेदन में जमीन के एक से अधिक प्लाट का प्रस्ताव किया है तो आवेदक को सबसे अच्छे जमीन को प्रस्तावित करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। प्रस्तावित जमीन यदि जांच के दौरान उपयुक्त पायी जाती है तो उसपर एलपीजी गोदाम/शोरुम के निर्माण की सिफारिश की जाएगी।

# 17. आशय पत्र (एलओआई)

एलओआई मिलने के बाद चयनित उम्मीदवार को एलओआई की तारीख से चार महीनों की अवधि के अंदर या ओएमसी द्वारा दिए गए समय में एलओआई में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा जिसके न किए जाने पर एलओआई वापस ले लिया जाएगा और चयनित उम्मीदवार द्वारा एफवीसी पूर्व जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. पुनः ड्रॉ हेत् शर्त

निम्नलिखित मामलों में शेष पात्र आवेदकों के बीच चयन हेतु पुनः ड्रॉ किया जाएगा :

- 18.1 फील्ड वेरीफिकेशन के परिणाम के कारण चयनित उम्मीदवार का निरस्तिकरण।
- 18.2 चयनित उम्मीदवार द्वारा निर्धारित समय में सुरक्षा जमा का 10% जमा नहीं कर पाना।
- 18.3 चयनित उम्मीदवार द्वारा एलओआई वापस ले लेने पर।
- 18.4 स्थापना के एक वर्ष के अंदर वितरक को बर्खास्त किया गया हो ।

उपरोक्त पैरा में निर्धारित ड्रॉ की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही फिर से ड्रॉ किया जाएगा ।

19. व्यथा/शिकायत निवारण प्रणाली

आवेदक के विरूद्ध प्राप्त किसी भी शिकायत निपटान निम्नानुसार किया जाएगा :

- 19.1 शिकायतकर्ताओं को शिकायत के साथ संबधित ओएमसी के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्याम से शिकायत शुल्कं के रूप में रु.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) जमा करना होगा । डिमांड ड्रॉफ्ट सीटीएस अनुपालित होना चाहिए । बिना सीटीएस अनुपालित डिमांड ड्रॉफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । शिकायतें, जिनके साथ रु.5000/- शिकायत शुल्क जमा नहीं किया जाएगा, उनकी जांच नहीं की जाएगी।
- 19.2 समान्यतः अनामी शिकायतों की जांच नहीं की जाती है।
- 19.3 आवेदकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तभी होगी जब ड्रॉ में आवेदक का चयन हो चुका हो।
- 19.4 तथापि, ड्रॉ के पहले यदि अरोप लगाते हुए कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी विशेष लोकेशन के लिए एक एवं अधिक आवेदक द्वारा गोदाम/शोरूम के लिए वही जमीन या वही निधि/वित्तीय साधन प्रस्तावित किया गया है तो ऐसी शिकायतों की जांच की जाएगी और इसका निपटान होने तक ड्रॉ की प्रक्रिया को स्थिगित रखा जाएगा।
- 19.5 शिकायतों पर तभी विचार किया जाएगा जब यह ड्रॉ के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय को प्राप्त हो जाए।

- 19.6 शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को पत्र भेजा जाएगा और उसे 15 दिनों के अंदर आरोप का विवरण प्रस्तुत करने तथा प्रथम दृष्ट्या आरोप की पृष्टि हेतु सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो, जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- 19.7 यदि ड्रॉ के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी जांच की जाएगी और यथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।
- 19.8 अपुष्ट शिकायतें : शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायतकर्ता को तदनुसार उत्तर भेजा जाएगा।
- 19.9 स्थापित शिकायतें: स्थापित शिकायतों के मामले में, निर्णय के अनसार उचित कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार शिकायतकर्ता को उत्तर भेजा जाएगा। यदि किसी शिकायत के प्रमाणित होने पर चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो ऐसे मामले में शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया रु.5000/- शिकायत शुल्क वापस किया जाएगा।

यदि एक से अधिक आवेदकों द्वारा गोदाम/शोरूम हेतु एक ही जमींन या एक ही निधि/वित्तीय साधन का प्रस्ताव करने के बारे में शिकायत प्राप्त होती है और वह सही पाई जाती है तो ऐसे मामले में शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए रु.5000/- का शिकायत शुल्क वापस किया जाएगा।

# 20. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं

चयनित उम्मीदवार द्वारा एलओआई में उल्लिखित समयाविध में एलपीजी भंडारण के लिए निर्धारित क्षमता का एलपीजी गोदम बनवाना होगा या बना-बनाया गोदाम उपलब्ध करना होगा और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) सहित सांविधिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

चयनित उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गोदाम/एलपीजी गोदाम के लिए प्रस्तावित जमीन तक एलपीजी सिलिंडर ट्रक के पहुंचने के लिए न्यूनतम 2.5 मीटर चौड़ी सभी मौसम में गाडियां आ जा सकने वाली (सार्वजिनक मार्ग या सार्वजिनक मार्ग से जोड़ने वाली मार्ग) सड़क हो। सार्वजिनक रास्ते से जोड़ने वाली प्राईवेट मार्ग के मामले में यह या तो स्वामित्व/रजिस्टर्ड लीज या भू-मालिक की जमीन से रास्ते पर आने-जाने का अधिकार होना चाहिए। जहां भी राज्य सरकार द्वारा अधिक लंबाई-चौड़ाई वाला संपर्क मार्ग निर्धारित किया गया हो तो इसे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

एलओआई की स्वीकृति के समय उम्मीदवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि एलओआई में उल्लिखित समय सीमा के अन्दर यथानिर्दिष्ट संपर्क मार्ग उपलब्ध करा दिया जाएगा । नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व संम्पर्क मार्ग के सुविधाजनक होने की जांच की जाएगी । चयनित उम्मीदवार की यह जिम्मेवारी होगी कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के बाद एलपीजी गोदाम तक संपर्क मार्ग के माध्यम से हमेंशा एलपीजी सिलिंडर की निर्वाध पहुंच सुनिश्चत करें । चयनित उम्मीदवार द्वारा संम्पर्क मार्ग की उपलब्ध कराने में असफल रहने पर एफवीसी पूर्व ली गई जमानत राशि का 10% जब्त किए जाने के साथ एलओआई को रद्द किया जा सकता है । बिना

उचित संपर्क मार्ग के गोदाम के निर्माण में उम्मीदवार द्वारा किए गये किसी निवेश के लिए ओएमसी जिम्मेदार नहीं होगी।

शहरी वितरक, रर्बन वितरक और ग्रामीण वितरक हेतु चयनित उम्मीदवार को एलओआई में उल्लिखित समय अविध के अंदर मानक लेआउट और कलर स्कीम के अनुसार एलपीजी शोरूम का निर्माण करना होगा या बना-बनाया शोरूम उपलब्ध कराना होगा। शोरूम आम जनता की सुगमता के लिए संपर्क मार्ग द्वारा आसानी से जुड़ा होना चाहिए। हालांकि दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए शोरूम/शोरूम हेतु जमीन पात्रता मापदंड नहीं है, 2.6 मीटर x 3.0 मीटर आकार का शोरूम उसी गांव में गोदाम के पास या गोदाम साइट से अधिकतम 500 मीटर दूरी के अंदर मौजूदा नजदीकी दुकान में होना चाहिए।

शहरी वितरक, रर्बन वितरक और ग्रामीण वितरक हेतु चयनित उम्मीदवार द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी के लिए एलओआई में ओएमसी द्वारा यथानिर्धारित पर्याप्त डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवार को सांविधिक नियमों के अनुसार ग्राहकों सिलिंडर का सही वजन दिखाने के लिए पर्याप्त संख्या में आवश्यक विनिर्देश का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल वजन तराजू खरीदना होगा।

#### 21. व्यक्तिगत निगरानी

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयनित व्यक्ति द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के परिचालन को स्वयं देखना होगा। वह किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। यदि चयनित व्यक्ति पहले से ही नौकरी पर है तो उसे नौकरी से इस्तीफा देना होगा और तेल कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी करने के पूर्व नियोक्ता द्वारा इस्तीफा स्वीकृत किए जाने का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चुने हुए उम्मीदवार को ओएमसी द्वारा एक एलओए जारी करने के पूर्व नोटरीकृत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह न तो प्राईवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा/रही है और न ही राज्य/केन्द्र सरकार/पीएसयू से कोई वेतन/भत्ता/परिलब्धियां (पेंशन के अलावा) ले रहा/रही है।

# 22. अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु वित्तीय सहायता योजना

अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित लोकेशन के लिए चयनित उम्मीदवार हेतु निम्नलिखित वित्तीय सहायता का विकल्प उपलब्ध है :

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणी के चयनित उम्मीदवार को एलपीजी गोदाम, शोरूम तथा एलपजी सिलिंडर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेने में सहायता की जाएगी। इस संबंध में, यदि बैंक को ऊपर उल्लिखित सुविधाएं देने के लिए उम्मीदवार से मार्जिन राशि चाहता है, तो ओएमसी ऐसे मार्जिन राशि के लिए सुरक्षित ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। तथापि शहरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मार्जिन राशि की सीमा रु.1लाख तथा शहरी-ग्रामीण एवं ग्रामीण

मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए रु.0.60 लाख या कुल प्रोजेक्ट लागत, जिस हेतु बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, का 20%, जो कम हो तक सीमित होगी।

मार्जिन राशि हेतु सुरक्षित ऋण अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ श्रेणियों के लिए आरक्षित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए (एसबीआई पीएलआर + 1%) के वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ब्याज सहित सुरक्षित ऋण को वितरक ले कमीशन से 20% की दर से वसूला जाएगा।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के परिचालन के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण भी (एसबीआई पीएलआर + 1%) की वार्षिक ब्याज पर दी जाएगी। कार्यशील पूंजी तथा उस पर लगने वाला ब्याज, दोनों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के 13वें महीने से 100 समान मासिक किस्तों में वसूला जाएगा।

#### 23. सुरक्षा जमाराशि

नियुक्ति पत्र जारी होने के पूर्व चयनित उम्मीदवार को संबंधित ओएमसी के पास नीचे यथाउल्लिखित ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा राशि जमा करनी होगी:

राशि रु. लाख में

डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रकार	खुली	अ.पि॰व॰	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰
शहरी वितरक/रर्बन वितरक	5	4	3
ग्रामीण वितरक/दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	4	3	2

एलओआई जारी होने के पूर्व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंधित प्रकार/श्रेणी हेतु चयनित उम्मीदवार से ली गई लागू 10% सुरक्षा जमाराशि को यथालागू सुरक्षा जमाराशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

इस्तीफा/निरस्तीकरण के समय ओएमसी अपने पास सुरक्षा जमाराशि राशि से अपनी किसी भी देयता के समायोजन का अधिकार सुरक्षित रखती है। तथापि, प्रमाणित कदाचार के कारण डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रद्द होने पर उपरोक्त सुरक्षा जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

# 24. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कमिशनिंग

उम्मीदवार, जिसे 'आशय पत्र' जारी किया गया है, को आशय पत्र (एलओआई) में दिये गए नियम एवं शर्तों को पूरा करना होगा ताकि निर्धारित समयाविध (जारी करने की तिथि से चार माह) में डिस्ट्रीब्यूटरिशप की किमशिनिंग की जा सके।

चयनित उम्मीदवार (एलओआई धारक) को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसे स्थापना-पूर्व क्विज/टेस्ट में 80% अंक लाकर उत्तीर्ण करना होगा । यदि एलओआई धारक ने क्विज में 80% से कम अंक अर्जित किए हैं तो उसे पुन: प्रशिक्षण दिया जाएगा और पुन: परीक्षा ली जाएगी ।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना से पहले चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा और मानक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार करार किया जाएगा ।

## 25. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अवधि

एचपी गैस तथा भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होती है और उसके बाद संबंधित ओएमसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और उसपर लिए गए निर्णय के आधार पर हर 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।

इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अवधि डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की प्रारंम्भिक अवधि के लिए होगी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में यथाउल्लिखित अधिकारों के अनुरूप उसके बाद भी जारी रहेगी।

# 26. गलत सूचना देना

- क) आवेदन अथवा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में दिया गया कोई भी विवरण या बाद में उम्मीदवार द्वारा आवेदन के क्रम में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर यदि छिपाई गई/गलत ढंग से प्रस्तुत/असत्य या झूठी पाई जाती है, जिससे पात्रता प्रभावित होती है तो बिना कोई कारण बताए आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।
- ख) यदि एफवीसी के बाद अथवा एलओआई जारी होने के बाद किंतु नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से पूर्व उम्मीदवार के चयन को निरस्त किया जाता है तो चयनित उम्मीदवार द्वारा एफवीसी पूर्व जमा की गई सुरक्षा जमाराशि का 10% जब्त कर लिया जाएगा।
- ग) यदि चयनित उम्मीदवार को वितरक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है और आबंटन रद्द किया जा सकता है, तो उम्मीदवार द्वारा जमा राशि की जब्त किए जाने के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप निरस्त कर दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में, चयनित उम्मीदवार/वितरक द्वारा संबंधित तेल कंपनी के विरूद्ध किसी भी तरह का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

\*\*\*\*\*\*